

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 42/21

वर्ष 2021

GCMS No- 2021/ 177

बउनवानी:- 1. दामोदर पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी झनून तहसील बौली
2. मु0 कमला पत्नि दामोदर जाति मीना निवासी झनून तहसील बौली

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड सवाईमाधोपुर,
3. तहसीलदार बौली

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम झनून तहसील बौली की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 449 गै.मु. चाह 0.50 है0 गै0मु0 बगीची का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थित:-1. श्री श्यामसुन्द गुप्ता
2. श्री दीपक शर्मा

वकील प्रार्थी
वकील अप्रार्थी 2

—: निर्णय :-

दिनांक:- 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम झनून तहसील बौली की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 449 गै.मु. चाह 0.50 है0 गै0मु0 बगीची का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/एन.एच.148एन/2019/181 दिनांक 2.8.2019 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली-बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा वाके ग्राम झनून तहसील बौली की भूमि खसरा नम्बर 449 गै.मु. चाह 0.50 है0 गै0मु0 बगीची भी अवाप्त की गयी है जिसका प्रार्थी भी अन्य सहखातेदारान के साथ खातेदार है। उक्त भूमि पर काफी पेड व फलदार वृक्ष होने के कारण उक्त भूमि की डीएलसी कृषि भूमि की डीएलसी से तीन गुना अधिक होनी चाहिए है इसलिए उक्त भूमि का अवार्ड 5,72,715 के स्थान पर 17,17,145/-रु देना चाहिए। उक्तानुसार अवार्ड राशि प्राप्त करने बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आपत्ति दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नहीं की गयी है। अतः उक्तानुसार मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।


.....(1).....



(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की किस्म असिंचित दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये हैं प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष में जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वार्के ग्राम झनून तहसील बौली की भूमि खसरा नम्बर 449 गै.मु. चाह 0.50 है० गै०मु० बगीची में से अवाप्त भूमि रकबा 0.4471 है० की अवार्ड राशि कृषि भूमि असिंचित की दर से 3,13,110/-रु प्रति० है० के हिसाब से 5,57,715/-रु दिया गया है। उक्त भूमि पर लगे हुए 410 यूकेलिप्टस के पेडों की राशि 1,57,210/-रु एवं एक बेर का पेड की अवार्ड राशि 6702/-रु एवं 01 आवला का पेड की अवार्ड राशि 31982/-रु दिया जा चुका है इसके अतिरिक्त कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। उक्तानुसार अवाप्त की गयी भूमि की किमत तीन गुणा होने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।

.....(2).....



(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 42/2021 दामोदर वगै. बनाम सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं एनएचएआई)

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम झनून तहसील बौली की भूमि खसरा नम्बर 449 गै.मु. चाह 0.50 है० गै०मु० बगीची भी अवाप्त की गयी है जिसका प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त भूमि पर काफी पेड़ व फलदार वृक्ष होने के कारण उक्त भूमि की डीएलसी कृषि भूमि की डीएलसी से तीन गुना अधिक दिलवाने बाबत निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया कि ग्राम झनून तहसील बौली की भूमि खसरा नम्बर 449 गै.मु. चाह 0.50 है० गै०मु० बगीची में से अवाप्त भूमि रकबा 0.4471 है० की अवार्ड राशि कृषि भूमि असिंचित की दर से 3,13,110/-रु प्रति० है० के हिसाब से 5,57,715/-रु दिया गया है। उक्त भूमि पर लगे हुए 410 यूकेलिप्टस के पेड़ों की राशि 1,57,210/-रु एवं एक बेर का पेड़ की अवार्ड राशि 6702/-रु एवं 01 आवला का पेड़ की अवार्ड राशि 31,982/-रु दिया जा चुका है इसके अतिरिक्त कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। उक्तानुसार अवाप्त की गयी भूमि की किमत तीन गुणा होने की पुष्टि होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सूबत पेश नहीं किया है। इस कारण प्रार्थी को उक्त अवाप्त भूमि की तीन गुणा कीमत से अवार्ड दिया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिद्धा कलेक्टर
सवाईमाधोपुर